संख्या–1165 /अड्तीस–9–2013–04(नियम)/2013

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर, 2013

विषयः–विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विधान मण्डल के मा० सदस्यों के प्रस्ताव पर स्वीकृति दिये जाने से पूर्व निम्न चेक लिस्ट के अनुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कराने का कष्ट करें :–

(1)– शिक्षण संस्था की मान्यता सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त किये जाय।

(2)– भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाय।

(3)– वही शिक्षण संस्थायें/विद्यालय पात्र होंगे, जिनके 03 बैचेज पास–आउट (Pass-out) हो चुके हों अर्थात विद्यालय अपने Optimum Level पर functional हो।

(4)– शिक्षण संस्था के प्रस्तावित कार्यों हेतु माडल प्राक्कलन के अनुसार आगणन गठित किये जाय।

(5)– प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की जाय।

(6)– प्रस्तावित निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में प्रारम्भिक निरीक्षण आख्या प्राप्त की जाय।

(7)– प्रस्तावित स्थल के रंगीन फोटोग्राफ प्राप्त किये जाय।

(8)– पंजीकृत छात्रों का कक्षावार एवं वर्गवार विवरण प्राप्त किये जाय।

(9)– पूर्व निर्मित कक्षों एवं निर्माण हेतु प्रस्तावित कक्षों के प्रमाणित विवरण प्राप्त किये जाय।

(10)– प्रस्तावित स्थल के चौहद्दी के विवरण (पूर्व निर्मित एवं प्रस्तावित कक्षों के प्लान में अंकित संख्या का विवरण) रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर एफीडेबिट सहित प्राप्त किया जाय।

(11)– शिक्षण संस्था को पूर्व में सांसद एवं विधायक निधि से प्राप्त धनराशि के वर्षवार विवरण प्राप्त किये जाय।

(12)– शिक्षण संस्था के बैंक खाता एवं विद्यालय के वाइलाज के अनुसार संचालन हेतु प्राधिकारियों के विवरण प्राप्त किये जाय।

(13)– अन्य विवरण प्राप्त किया जाय।

–2/

2– यह भी अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त चेक लिस्ट के अनुसार औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुये निर्धारित समय–सीमा में प्रस्तावों की स्वीकृति दिया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या–1165 /अड़तीस–9–2013, तददिनांक।
प्रतिलिपिः– आयुक्त, ग्राम्य विकास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।